



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57144

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1905 वर्ष 2026

नवीन सिंह

..... पुनरीक्षणयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता : मनीष देव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 87

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह आपराधिक पुनरीक्षण दिनांक 7.2.2026 को विद्वान विशेष न्यायाधीश (डीएए), झांसी द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या 20/2026 (नवीन सिंह बनाम संध्या उर्फ निधि और अन्य) मामले में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है , जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत दायर याचिका खारिज कर दी गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बीएन एसएस की धारा 173(4) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी , जिसे दिनांक 7.2.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उन्होंने धारा 173(4) के तहत अपनी शिकायत में कहा है कि याचिकाकर्ता /नवीन सिंह जब 15.11.2025 की रात लगभग 11.35 बजे घर पर थे, तब प्रतिपक्षी सं. 2/संध्या उर्फ निधि अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ आई। उसने शिकायतकर्ता का दरवाजा खटखटाया और उसे बाहर बुलाया। उसने उसे गंदी गालियां दीं और उसकी पिटाई की। उसने पुनरीक्षणयाची/शिकायतकर्ता का मोबाइल छीन लिया और उसकी सोने की चेन भी लूट ली। उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। संध्या के साथ आए अज्ञात व्यक्ति ने याचिकाकर्ता से कहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि हमने आपस में मिलीभगत करके तुम्हारे खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया है और यदि तुम इससे खुद को बचाना चाहते हैं और अपने परिवार को जीवित देखना चाहते हैं , तो तुम्हें एक महीने के भीतर हमें 10 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। अब हमने तुम्हारा मोबाइल और चेन लूट ली है और यदि आप पैसे नहीं देते हैं , तो हम आपके घर पर भी कब्जा कर लेंगे। याचिकाकर्ता उनसे बहुत डरा हुआ है और उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है। उक्त आवेदन 17.1.2026 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उसने बताया कि उसने 16.11.2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की थी , लेकिन उसे दर्ज नहीं किया गया।

4. माननीय ए.जी.ए. ने आपराधिक पुनरीक्षण का विरोध किया।

5. कथित घटना रात 11.35 बजे घटी। यह बहुत हद तक असंभव है कि कोई महिला आधी रात को किसी के घर आए और आवेदक को बुलाकर उपरोक्त सभी कृत्य करे। इसके बावजूद , याचिकाकर्ता के परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकला।

पुनरीक्षणयाची/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप के समर्थन में कोई चोट रिपोर्ट भी नहीं है।

6. विचारण न्यायालय ने विस्तृत और तर्कसंगत आदेश पारित किया है और आदेश के पैराग्राफ संख्या 8 में कहा गया है कि संबंधित थाने से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार , प्रतिपक्षी संख्या 2, संध्या ने याचिकाकर्ता नवीन सिंह के खिलाफ विवाह के झूठे आश्वासन पर शारीरिक कृत्य करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। उक्त एफआईआर दिनांक 1.11.2025 को केस क्राइम संख्या 349/2025 के तहत धारा 69, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के अंतर्गत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने प्रतिपक्षी/संध्या उर्फ निधि पर दबाव बनाने के लिए उक्त रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विचारण न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि शिकायतकर्ता /नवीन सिंह द्वारा प्रस्तुत फोटो और चैट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनकी अवधि क्या थी और उनमें कौन- कौन शामिल थे। किसी भी फोटो में कोई महिला किसी पुरुष के साथ लूटपाट करते हुए नहीं दिखाई गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि फोटो याचिकाकर्ता के घर की है या किसी अन्य स्थान की। कथित तस्वीर फरवरी 2025 की प्रतीत होती है , जबकि कथित घटना नवंबर 2025 में घटी बताई जा रही है। शिकायतकर्ता प्रतिपक्षी /संध्या के खिलाफ अनुचित दबाव बनाने के लिए झूठी , मनगढ़ंत और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज , जिसकी तस्वीर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



भी निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी , पर विचार किया गया और शिकायत को निचली अदालत ने खारिज कर दिया।

7. शिकायतकर्ता/पुनरीक्षणयाची की कोई चिकित्सा/चोट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अनुचित या अवैध प्रतीत नहीं होते हैं।

8. इस तथ्य को देखते हुए , आपराधिक पुनरीक्षण में कोई मेरिट नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। आपराधिक पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

19 मार्च, 2026

एसएफए/

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।